[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.12/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 108, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले वर्णन के मालों को, जो वित्त विधेयक के उक्त खंड के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट दर से अधिक है,-

सारणी

क्र. सं.	प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्पिरिट जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	3%
2.	2710 19 30	उच्च स्पीड डीजल (एचएसडी)	3%
3.	7106	रजत (जिसके अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम लेपित रजत है) अनगढ़ या अधविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	3%
4.	7108	स्वर्ण (जिसके अंतर्गत	3%

		प्लेटिनम से लेपित स्वर्ण है) अनगढ़ या अधविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	

[फा.सं. 334/04/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार